

6. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता

★ आ		★ कार्या		संकेत
★ मि.व्यय	: आवासीय	★ सुवि.	: कार्यालय	अनुमन्य उपयोग
★ बा.स्ट्री.	: मिश्रित व्यवसायिक	★ या. परि.	: सामुदायिक सुविधाएं	सशर्त अनुमन्य उपयोग
★ ल. उ.	: बाजार स्ट्रीट	★ पार्क	: यातायात एवं परिवहन (ट्रांसपोर्ट नगर/बस अड्डा) डिपो	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग
★ म. उ.	: हल्के एवं लघु उद्योग	★ मनो०	: पार्क, खुले स्थल, एवं मनोरंजन स्थल	निषिद्ध उपयोग
★ संस्था	: बृहद एवं मध्यम उद्योग	★ हरि. प.	: क्षेत्रीय मनोरंजन/मनोरंजन	
★ स०हरि०	: संस्थागत	★ कृ०	: हरित पट्टी	
★ थो० व्या०	: संस्थागत हरित क्षेत्र		: कृषि हरित क्षेत्र	
	: थोक वाणिज्य			

क्रियाएं (Activities)	नगरीय/ ग्रामीण निर्मित क्षेत्र
1	2
1. आवासीय	
1.1 एकल आवास	7
1.2 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	
1.3 सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार संतरी आवास	
2. व्यवसायिक	
2.1 फुटकर दुकानें (संलग्न सूची के अनुसार)	
2.2 शोरूम	7
2.3 साप्ताहिक बाजार	
2.4 थोक मण्डी/थोक व्यापार	
2.5 नीलामी बाजार	
2.6 नीलामी एवं कन्फेक्शनर्स, आटा चक्की	
2.7 कोयला तथा लकड़ी के टाल	8
2.8 कृषि उपजों के विक्रय केन्द्र	
2.9 शीतगृह	
2.10 रिसॉर्ट	
2.11 होटल	12
2.12 मोटल, बे-साइड रेस्तरा (ढाबा)	
2.13 भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन	
2.14 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	

[illegible]

[illegible]

क्रियाएं (Activities)		भू-उपयोग जोन्स विकासशील/अविकसित क्षेत्र														
1	2	आ.	मि. व्यय	बा. स्ट्री	यो. व्या.	ल. उ.	म. उ.	कार्या	सुवि.	सरथा	या. परि.	पार्क	मनोरंजन	स. हरि.	हरि. प.	कु.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.34	अनुरोधन एवं विकास केन्द्र शेष केन्द्र					20										
5.35	समाज कल्याण केन्द्र															
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएं															
6.1	सीपरेज ट्रीमेंट प्लांट, कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड, इत्या.					14	14		14							
6.2	ट्यूब-वैल, ओर हेड रिजर्वीयर, विद्युत-के/सब-रेट															
6.3	वाटर वर्क्स															
6.4	मइक्रोवेव केन्द्र															
6.5	कम्पोस्ट प्लांट															
6.6	पुशवधशाला								14							
6.7	सेल्युलर/मोबाइल टावर															
7.	यातायात एवं परिवहन															
7.1	पार्किंग स्थल										10	21				
7.2	टैक्सी, टैम्पो, रिक्शे आदि के स्टैंड										10					
7.3	ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो															
7.4	बस स्टैंड	7	7		9	7			7		10					
7.5	बस टर्मिनल		9		9											
7.6	मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशॉप	7											10			
7.7	मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र															
7.8	लोडिंग-अनलोडिंग प्लेटफार्म	7													21	
7.9	रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/बास क्यू शेल्टर															
7.10	धर्मकांटा	7	9			7										
7.11	एयरपोर्ट															
8.	पार्क/क्रीडा खुले स्थल															
8.1	पार्क/क्रीडा स्थल का मैदान															
8.2	बहुउद्देशीय खुले स्थल	7	7													
8.3	गोल्फ/रेसकोर्स															
8.4	स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र															
8.5	कारवाँ पार्क पिकनिक स्थल, शिविर											21				21

क्रियाएं (Activities)	नदीय/घासीय निर्मित क्षेत्र	भू-उपयोग जोन्स														
		विकासशील/अविकसित क्षेत्र														
		आ	मि.व.व.	बा.म.टी.	थो.व्या.	ल.उ.	म.उ.	कावां	मुषि	संखा	या.परि.	पार्क	मनोरंजन	संस्मृति	हॉटेल	कृ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.6	ट्रेफिक पार्क															
8.7	मनोरंजन पार्क															
8.8	कलब, तरणताल															
8.9	विडिओघर, जल जीवशाला, पक्षी शरण स्थल															
8.10	फ्लाईंग क्लब/हैलीपैड															
8.11	शूटिंग रेंज															
9.	कृषि															
9.1	बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन एवं कृषि															
9.2	फार्म हाउस															
9.3	घारागाह, दुग्धशाला (डैरी फार्म)															
9.4	धोबी घाट															
9.5	सुअर/मत्स्य/कुक्कुट/मधुपालन, पशुसं एवं प्र.केंद्र															
9.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशॉप															
10.	फ्लोटिंग उपयोग															
10.1	सार्वजनिक सुविधायें															
10.2	थोक व्यवसायिक															
10.3	यातायात एवं परिवहन															
10.4	सेवा/कुटीर उद्योग															
10.5	विशेष उद्योग (संकटमय एवं खतरनाक)															

टिप्पणी :

1. नदी के संरक्षित क्षेत्र में कोई पक्का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा। इस क्षेत्र में खुली प्रवृत्ति की कृषि, बागवानी वनस्पति/जीव विज्ञान पार्क तटीय विकास, गोल्फ कोर्स इत्यादि क्रिया कलाप अनुमत्य होंगे।
2. सिटी फोरस्ट में प्रदर्शित क्षेत्र को दर्शाती है, जहाँ वृक्षारोपण, बागवानी के अतिरिक्त कोई भू-प्रयोग अनुमत्य नहीं होगा।
3. सीवेज एवं जलशोधन हेतु आरक्षित क्षेत्र में केवल शोधन संयंत्रों के निर्माण होने तक इन स्थलों पर कृषि से संबंधित खुले भू-प्रयोग अनुमत्य होंगे।
4. औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्रयोग औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नियन्त्रित किया जायेगा।
5. पार्किंग हेतु प्रदर्शित स्थलों पर वेसामेंट एवं भूतल पर पार्किंग तथा शेष तलों पर एफ.ए.आर. के अनुसार व्यवसायिक भू-प्रयोग अनुमत्य होंगे।
6. सोलिड वेस्ट निस्तारण स्थल केवल प्रतीकात्मक है तथा निस्तारण स्थल परियोजना निर्माण के समय स्थल का निर्धारण कृषि क्षेत्र में अनुमत्य होगा।